

8-6-18 फतावली पेशा हुई। प्रार्थी पंथीलाल तथा खेतन हाजिर।
 सरपंच करमा हाजिर। प्रकरण में राजीनामा ही चुका है।
 पादपत्र में कार्यवाही ही चुकी है। अतः इस प्रार्थना पत्र में
 कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही
 समाप्त की जाती है। मिसल नं० से कम होकर फंसल सुमा है।
 काफ तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उमराव

दो

निर्णय प्रज में आम में सुनाया गया।

सदस्य
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)।

सदस्य
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)।

अध्यक्ष
 लोक अदालत शिविर
 सरवाड़ (अजमेर)।